प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक (पं0),
सहारनपुर तथा अलीगढ़।

संख्या 1/ शा/126/2016–1/273/2016 : लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद मे व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101 –पंचायती राज–04–मण्डल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–48/2016/2348/33–3–2016–100(8)/2016, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के अन्तर्गत 01–वेतन में रू0 3095000/– स्वीकृत किया गया था। अन्य मदो में धनराशि आवंटित न होने के कारण जनपदों को आवंटन नही किया जा सका। पुनः अनुपूरक मांगों के माध्यम से शासनादेश संख्या–104/2016/2900/33–3–2016–100(8)/2016 दिनांक 19.12.2016 के माध्यम से 03 महंगाई भत्ता रू0 1544000/–, 06–अन्य भत्ता रू0105000/–, 08–कार्यालय व्यय रू0 100000/– तथा अवशेष धनराशि 01 वेतन मे रू0 1346000/– जिसका कुल योग रू0 3095000/– होता है को चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रू0–**3095000/– (रूपया तीस लाख पंचानवे हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016 बी–1–746–दस–2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नही दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4– आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्र्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7– उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–101–पंचायती राज–04–मण्डल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

8– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

9– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एव धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

कृ0पृ0उ0

10– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

11– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

12– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य –लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

14– आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।

15– संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2–प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10.02.2017 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.02.2017 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4–वर्ष 2016–17 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20–02–2017 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–143 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ 126/1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सहारनपुर तथा अलीगढ़।
7–एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-26/12/2016

प्रेषण संख्या:- 1\271\126\2016-1\273\2016

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-273-2016

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महंगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	673000	772000	52500	50000	1547500
		प्रगामी	673000	772000	52500	50000	1547500
2	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	673000	772000	52500	50000	1547500
		प्रगामी	673000	772000	52500	50000	1547500
	योग	वर्तमान	1346000	1544000	105000	100000	3095000
		प्रगामी	1346000	1544000	105000	100000	3095000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस लाख पंचानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीस लाख पंचानवे हजार

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी